न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 77/2001 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. फूलसिंह पुत्र बुद्धराम जाति यादव वासी ग्राम मांजरी कला तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 – मृतक
1/1. मु0 संतरा पत्नी स्व0 फूलसिंह,
1/2. रामकुंवार पुत्र फूलसिंह,
1/3. मु0 संतोष पुत्री फूलसिंह,
1/4. मु0 प्रेमलता पुत्री फूलसिंह,
1/5. मु0 शकुन्तला पुत्री फूलसिंह,
1/6. मु0 ओमलता पुत्री फूलसिंह जाति अहीरान वासी मांजरी कला तहसील बहरोड़ वारिसान काबिज जायदाद फूलसिंह मृतक ।

.....वादीगण/ अपीलांटान

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र मुकट प्रसाद जाति यादव वासी मांजरी कलां,
2. मुकट प्रसाद पुत्र बुधराम जाति यादव वासी मांजरी कलां,
3. मोतीराम पुत्र बुधराम यादव वासी मांजरी कलां,
4. मु. मकतुल बेवा श्री राधाकृष्ण जाति यादव वासी मांजरी कलां तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री अमरसिंह यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री रामेश्वर लाल अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.05.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.1.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल आराजी ख0 नं0 248/0.51, 249/0.46, 250/0.49, 251/0.53, 252/0.50 ग्राम दोसोद तथा आराजी ख0 नं0 हाल 23/0.10, 25/0.06, 202/0.16, 203/0.12, 240/0.15, 241/0.16, 263/0.17, 264/0.20, 274/0.43, 474/0.19, 1434/0.31, 1435/0.30, 9/1905/0.18 वाके ग्राम मांजरी कलां तहसील बहरोड़ में स्थित है जो आराजी विवादित है । हम वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0 3, 4 व तर0 प्रति0 सं0 5 के पति तथा प्रतिवादी असल नं0 2 के पिता दादा की पैदाकर्दा है जिसमें हम वादीगण तथा तर0 प्रति0 सं0 3 ल0 5 व प्रतिवादी सं0 2 का समभाग के रूप में प्रत्येक इंच पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार है । इस समय मौके पर विवादित आराजी बिना बंटी हुई है । आराजी ख0 नं0 248, 249, 250, 251, 252 ग्राम दौसोद का 1/5 भाग का बयनामा दि0 14.2.96 को तथा ख0 नं0 23, 25, 202, 203, 240, 241, 263, 264, 274, 474, 1434, 1435, 9/1904 ग्राम मांजरी कलां का 1/5 भाग दि0 7.2.96 को प्रतिवादी सं0 1 अनिल कुमार पुत्र मुकुट प्रसाद अहीर निवासी मांजरी कजां को बिना जर्ये बदल लिये व बिना विवादित आराजी का विभाजन कराये बिना कब्जा सम्भलाये बेचान कर दिया है जो बयनामा हम वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण के कानूनी व जायज हक हकूकों के खिलाफ वोईड ऐबिनिशो बातिल व बेअसर है और निरस्त योग्य है । इस बयनामें के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 ने आराजी के 1/5 भाग पर कब्जा लेने लगा तो हमें जानकारी हुई । तब वादी व तर0 प्रति0 ने प्रतिवादी असल का बयनामा निरस्त कराने को कहा तो पहले तो हां किया लेकिन बाद में इन्कार कर दिया । दोनां बयनामा बिना जरे बदल लिये बिना कब्जा दिये प्रतिवादी सं0 1 के हक में तस्दीक करा दिया जो हमारे कानूनी हक हकूकों के खिलाफ है तथा जिनके आधार पर जो इन्तकाल दर्ज होकर राजस्व रेकार्ड अमल हो गया वह भी हम वादी एवं तर0 प्रति0 के कानूनी हक हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर करार दिये जाने योग्य हैं । सह खातेदार आवश्यक पक्षकार है जो दावा में शामिल नहीं होना चाहते हैं । ऐसी सूरत में उन्हें आवश्यक पक्षकार होने के नाते दावा हाजा में तर0 प्रतिवादी बनाया गया है । इसलिए वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया जो जर्ये अभिभाषक उपस्थित आये, बाद में उनके अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई । विद्वान तहत न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर दि0 31.1.2001 को वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार लिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 31.1.2001 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 मृतक श्री हरीराम व तर0 प्रतिवादीगण सं0 3 ल0 5 की मुश्कर्ता खातेदारी की आराजी है जिसमें उनका समान भाग व समान हिस्सा 1/5-1/5 है और जिस आराजी की बाबत पक्षकारान के बीच आज तक किसी प्रकार से विभाजन नहीं हुआ है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तथा मौके पर शामलात में काश्त करते चले आ रहे हैं । विवादित आराजी के 1/5 हिस्से की बाबत असल प्रतिवादी सं0 1 हरिराम से दो किता विकय पत्र दिनांक 7.2.96 व 14.2.96 को तहरीर व तकमील करा लिये है जो दोनों विकय पत्र गलत है क्योंकि विवादित आराजी मुश्तर्का खातेदारी की आराजी है एवं कानूनन जब तक आराजी का विभाजन नहीं हो तब तक प्रतिवादी सं0 2 को विवादित आराजी के किसी भाग को विकय करने का हक हासिल नहीं था एवं दोनों विकय पत्र कतई नुमायशी दस्तावेज है जिनके तहत ना तो कोई प्रतिफल प्राप्त किया है और ना कभी विवादित आरजी का कब्जा दिया है । कानूनन जब तक विभाजन ना तो विवादित आराजी के प्रत्येक हिस्से पर सभी सह खातेदारों का कब्जा माना जावेगा और जब तक विवादित आराजी का विभाजन ना हो किसी भी सह खातेदार को अपने हिस्से की आराजी किसी भी प्रकार से विकय करने का हक हासिल नहीं है । प्रतिवादी सं0 1 की मंशा इस बात से भी जाहिर होती है कि उसने प्रतिवादी सं0 2 से कथित हर दो विकयपत्र के साथ–साथ दो अलग–अलग वसीयत करायी थी क्योंकि उसको इस बात का पूर्ण अंदेशा था कि उक्त हर दो विकय पत्र को किसी भी समय माननीय न्यायालय द्धारा निरस्त किया जा सकता है तो वह अपने आपको कथित वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सं0 2 के हिस्से की आराजी का खातेदार होना बता सकें । कानूनन जब कोई व्यक्ति विकय पत्र निष्पादन करा देता है तो फिर वसीयत नामा लिखे जाने का ना तो कोई वजह थी और ना कोई युक्तियुक्त कारण था । प्रतिवादी सं0 1 व श्री मुकट प्रसाद ने महज इस नियत से ही प्रतिवादी सं0 2 हरिराम के स्वर्गवास होने के बाद उसकी वसीयत प्रभाव में आ जावें । कथित वसीयत नामा निष्पादन किये जाने के कुछ ही समय बाद उसको स्लो पाईजन दे दिया जिससे कुछ समय में ही उसकी मृत्यु हो गयी । जहर देकर मारने की बाबत असल प्रतिवादी सं0 1 व मुकट प्रसाद के खिलाफ एक फौजदारी मुकदमा कदर्ज कराया गया जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्धारा निर्णय व डिक्री गलत तौर पर जारी की गइ है जो निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्धान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी में हमारा 1/5 हिस्सा है जिसे विकय करने का हमें पूरा हक व अधिकार था । अधीनस्थ न्यायालय द्धारा सही निर्णय व डिक्री पारित की गई है । विवादित आराजी के 1/5 हिस्से से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2049–52 में राधाकृष्ण, हरिराम, मोती, फूलसिंह मुकुट पि0 बुद्धराम समभाग कौम अहीर सा.देह दर्ज रेकार्ड है । साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2033 में यह भूमि ग्राम दोसोद व ग्राम मांजरी कलां में उक्त भूमि बुधा व पक्षकारान के नाम कमशः दर्ज है । प्रतिवादी नं0 2 ने एक वसीयतनामा जो नोटेरी से प्रमाणित है कि प्रति तहत न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसमें चल व अचल सम्पति उसके मरने के बाद प्रतिवादी नं0 1 के नाम कर दी । वादी/अपीलांट द्धारा तहत न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज एक्जी.2 के द्धारा प्रतिवादी नं0 2 ने प्रतिवादी सं0 1 के हक में ग्राम दोसोद की भूमि दि0 14.2.96 को तथा एक्जी पी–3 के द्धारा प्रतिवादी नं0 2 ने प्रतिवादी नं0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1 के हक में ग्राम मांजरी कलां की भूमि का बयनामा दि0 7.2.96 को करा दिया तथा जिनके इन्तकाल दर्ज होकर मंजूर हो चुके हैं तथा जिनका अमल दरामद भी हो चुका है । इसलिए प्रतिवादी नं0 2 का उक्त वर्णित आराजी में 1/5 हिस्सा था जिसे विक्रय करने का उसे पूरा हक व अधिकार है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकालकर निर्णय व डिक्री पारित की है उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.1.2001 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner